प्रेस नोट　　　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　　　दिनांक 24.10.2024

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाले मृतका के बेटे सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से हत्या में प्रयुक्त ईंट व मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 04.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी सुनील कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी मन्डोला थाना ट्रोनिकासिटी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी की पत्नी संगीता की हत्या कर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए घटना के अनावरण एवं गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटैज,मुखबिर एवं मैनुअल के आधार पर उपरोक्त घटना में 03 अभियुक्तों 1.सुधीर उर्फ मोहित उर्फ चुल्लक पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 2.सचिन त्यागी उर्फ चूहा पुत्र रामौतार निवासी ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 3.अंकित उर्फ गुर्दा पुत्र अशोक बाल्मिकी निवासी ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आये।

दिनांक 23.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले प्रकाश में आये 03 अभियुक्तों 1.सुधीर उर्फ मोहित उर्फ चुल्लक पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 2.सचिन त्यागी उर्फ चूहा पुत्र रामौतार निवासी ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 3.अंकित उर्फ गुर्दा पुत्र अशोक वाल्मिकी निवासी ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पानी की टंकी के पास, अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ईंट (आलाकत्ल) व मोटरसाईकिल बरामद हुयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

मृतका के पुत्र अभियुक्त सुधीर उर्फ मोहित उर्फ चुल्लक ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दो भाई एक बहन हैं। बडे भाई अपनी पत्नी व बच्चों के साथ शाहदरा दिल्ली में गार्ड की नौकरी करता है तथा पापा हापुड में मुकेश त्यागी के फार्म पर नौकरी करते हैं। मुझे जोत लाने एवं अपने डीजे के दो स्पीकर बदलने के लिए 20 हजार रूपये की आवश्यकता थी तो मैंने अपनी मम्मी से 20 हजार रूपये मांगे। मम्मी ने पैसे नहीं दिये और मुझे उल्टा सीधा बोला की तू नकारा है, घर में पडा रहता है, मेरी कमाई खाता है, अपने नाम का प्लाट व मकान बडे बेटे के नाम करूंगी। मुझे अपनी बहुत बेईज्जती लगी मैंने मम्मी को रास्ते से हटाने का मन ही मन इरादा कर लिया। दिनांक 02.10.2024 को रात्रि में जोत लेने मौहल्ले के लोगो के साथ कालका गया तथा दिनांक 03.10.2024 को सुबह आया और सो गया। मैं दोपहर में उठकर शराब पीने मण्डौला शराब की दुकान पर गया वहां मेरे दोस्त सचिन त्यागी उर्फ चूहा व अंकित उर्फ गुर्दा मिले जो शराब पी रहे थे। मैंने भी उनके साथ शराब पी तथा उन्हें बताया कि मैं घर की तरफ से बहुत परेशान हूँ और मुझे मम्मी की हत्या करनी है। दोनों दोस्तो ने कहा कि तू परेशान मत हो हम तेरे साथ हैं। उसके बाद मैं अपने दोस्त सचिन उर्फ चूहा की मोटरसाइकिल को लेकर अपनी मम्मी को लेने समय रात्रि 09.00 बजे कम्पनी गेट न0 2 के पास गया और किसी बहाने से अपनी मम्मी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर कच्चे रास्ते पर ले आया और मम्मी को पकडकर गैस एजेंसी के पीछे दीवार के किनारे ले गया और वहां मौजूद दोस्त सचिन उर्फ चूहा व अंकित उर्फ गुर्दा से कहा कि मम्मी का काम तमाम कर दो। मैंने व अंकित ने मम्मी को पकड़ लिया तथा सचिन ने ईंट उठाकर मम्मी के सिर में कई बार मारी जिससे मम्मी बेहोश होकर गिर गयी और उनकी मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम / पता-

1. सुधीर उर्फ मोहित उर्फ चुल्लक पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 26 वर्ष।
2. सचिन त्यागी उर्फ चूहा पुत्र रामौतार निवासी ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद,उम्र 34 वर्ष।
3. अंकित उर्फ गुर्दा पुत्र अशोक वाल्मिकी ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटीगाजियाबाद,उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

ईंट (आलाकत्ल) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त सुधीर उर्फ मोहित उर्फ चुल्लक के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर हत्या, आबकारी अधिनियम, लूट,आयुध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट के कुल 08 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त सचिन त्यागी उर्फ चूहा के विरूद्धथाना ट्रोनिका सिटी पर हत्या, जुआ अधिनियम के कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं।अभियुक्त अंकित उर्फ गुर्दा के विरूद्धथाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त हत्या के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 06.10.2024 को थाना वेव सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की बहन के पति व उसके परिवारीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में फोर्चूनर कार की मांग करना तथा मांग पूरी ना होने पर उसकी बहन की हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना वेव सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 08.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल ईनपुट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शशांक यादव पुत्र जयवीर सिंह यादव निवासी राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल वाली गली, लाल कुँआ पुलिस चौकी के पास, कृष्णा विहार कालोनी, थाना वेव सिटी गाजियाबाद को दिल्ली पुलिस कालोनी के पास ग्राउण्ड से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 24.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल ईनपुट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त जयवीर सिंह यादव पुत्र स्व0 लख्मीचन्द व अभियुक्ता बीना पत्नी जयवीर सिंह यादव निवासीगण ग्राम पचौता थाना चौला जनपद बुलन्दशहर हाल पता राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल वाली गली, लालकुँआ पुलिस चौकी के पास, कृष्णा विहार कालोनी, थाना वेव सिटी गाजियाबाद को आनन्द हास्पीटल के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ पर अभियुक्त व अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारा एक स्कूल है और स्कूल का मैनेजमेन्ट हम और मेरा बेटा शशांक देखते हैं। मेरे बेटे शशांक की शादी मृतका से दिनांक 16.02.2023 को हुई थी। हमें स्कूल के काम के लिए कुछ रूपये की जरूरत थी और हमने और मेरे बेटे शशांक ने अपनी पत्नी से कुछ रूपये अरेन्ज करने के लिए बोला था इसी बात को लेकर वो दहेज की मांग की कहने लगी और वो नाराज थी। अचानक दिनांक 06.10.2024 को मेरी पुत्रवधू ने फांसी लगा ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. जयवीर सिंह यादव पुत्र स्व0 लख्मीचन्द निवासी ग्राम पचौता थाना चौला जनपद बुलन्दशहर हाल पता-, राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल वाली गली, लालकुँआ पुलिस चौकी के पास, कृष्णा विहार कालोनी, थाना वेव सिटी गाजियाबाद , उम्र 47 वर्ष।
2. बीना पत्नी जयवीर सिंह यादव निवासी ग्राम पचौता थाना चौला जनपद बुलन्दशहर हाल पता राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल वाली गली, लालकुँआ पुलिस चौकी के पास, कृष्णा विहार कालोनी, थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र 46 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम ।

स्वाट टीम नगर जोन व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 23.10.24 को वादिया श्रीमती ललिता पत्नी स्व0 अशोक निवासी ग्राम गढी भट्टा न0 5 थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि मेरा मेरा पुत्र आकाश साईकिल चलाने के लिए दिनांक 22.10.24 को शाम के समय निकला था काफी तलाशने पर वह सिटी फोरेस्ट के पास उसका शव मिला ।जिस पर थाना नन्दग्राम पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, स्वाट टीम व थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया, दिनांक 24.10.2024 को सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त महेश गुप्ता पुत्र सुभाष गुप्ता निवासी ज्वालापुर जनपद रामपुर पकडने का प्रयास किया गया तो पुलिस को देखते ही पूर्व से छिपाये हुए तमंचे से फायरिंग कर दी। जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। मुठभेड के दौरान अभियुक्त को पैर में गोली लग गयी। अभियुक्त को ईलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

महेश गुप्ता पुत्र सुभाष गुप्ता निवासी ज्वालापुर जनपद रामपुर

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त से पूछताछ पर बताया कि साहब मैं एक छोटी सी पान की दुकान चलाता हूँ। मेरा मृतक आकाश की माँ श्रीमती ललिता से अवैध संबंध थे जिसमें मृतक आकाश बातचीत करने में बाधक बन रहा था। मैं दिनांक 22.10.24 को आकाश को लेकर सिटी फोरेस्ट की तरफ ले गया वहाँ जाकर मैने उसके गले में रस्सी बाँधकर उसकी हत्या कर दी तथा उसकी साईकिल राजनगर एक्सटेंशन में फेक दी थी।

बरामदगी का विवरण-

1.एक तमंचा , एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस
2.एक साईकिल

गिरफ्तार करने वाली टीम—

स्वाट टीम नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा डेटिंग एप के माध्यम से लड़कियों से मिलने के नाम पर कैफे में बुलाकर खाने के सामान पर मूल्य से अधिक बिल लगाने व बिल न देने पर बन्धक बनाकर पैसे मांगने में वाँछित 03 अभियुक्त व 05 अभियुक्ता गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 22.10.2024 को वादी विकास गुप्ता पुत्र श्री सुभाष चन्द गुप्ता निवासी दयालपुर दिल्ली की लिखित तहरीर के आधार पर डेटिंग एप के माध्यम से लड़कियों से मिलने के नाम पर कैफे में बुलाकर खाने के सामान पर मूल्य से अधिक बिल लगाने व बिल न देने पर बन्धक बनाकर पैसे मांगने के संबंध में थाना कौशांबी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.10.2024 को वांछित चल रहे 03 अभियुक्त 1. खालिद उर्फ इमरान पुत्र मौहम्मद जाहिद नि0 मकान नं0 144 गली नं0 01, एच ब्लांक शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष, 2. नदीम पुत्र मुन्तजीम निवासी फ्लैट नं0 सी0 94 डी0डी0ए0 फ्लैट शास्त्री पार्क थाना शास्त्री पार्क दिल्ली उम्र क 28 वर्ष, 3.सुमित पुत्र मुकेश निवासी गली नम्बर 08 मकान नम्बर 306 खिचडी पुर थाना कल्याणपुरी दिल्ली उम्र 20 वर्ष, व 05 अभियुक्ता को टाईगर कैफे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभियुक्तागणों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः</u> गिरफ्तार अभियुक्ता व अभियुक्तगणों व कैफे के मालिक ने पूछताछ करने पर बताया कि हम अपने कैफे में काम करने वाली लड़कियों द्वारा डेटिंग एप से वार्ता करके लड़को को मिलने के नाम पर अपने कैफे पर बुलाते थे तथा लड़को को केफै मे लाने के बाद उनके द्वारा ऑर्डर किये जाने वाले सामान के बिल में उसके मूल्य से 5 से 6 गुना मूल्य लगाकर बिल देते थे और बिल के पैसे न देने पर बन्धक बनाकर पैसे मांगते थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभियुक्तागणों का नाम व पताः</u>

1. खालिद उर्फ इमरान पुत्र मौहम्मद जाहिद नि0 मकान नं0 144 गली नं0 01, एच ब्लाक शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष।

2. नदीम पुत्र मुन्तजीम निवासी फ्लैट नं0 सी0 94 डी0डी0ए0 फ्लैट शास्त्री पार्क थाना शास्त्री पार्क दिल्ली उम्र 28 वर्ष।

3. सुमित पुत्र मुकेश निवासी गली नम्बर 08 मकान नम्बर 306 खिचडी पुर थाना कल्याणपुरी दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष।

4. 05 अभियुक्ता

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः</u>

- थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।